

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 29, बुधवार, श॥के 1947- फरवरी 18, 2026 Magha 29, Wednesday, Saka 1947- February 18, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 02, 2026

संख्या:48/भू.अ./ज.स./2025/103-107:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ मेज नदी पर मेज बैराज का निर्माण तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी कार्य हेतु भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में संलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु महाप्रबन्धक, आर.डब्ल्यू.जी.सी.एल., पी.आई.यू. कोटा को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) REV-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (जल संसाधन विभाग) बून्दी होंगे।

विवरण

महाप्रबन्धक, आर.डब्ल्यू.जी.सी.एल., पी.आई.यू. कोटा के अन्तर्गत मेज नदी पर मेज बैराज का निर्माण तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी कार्य में आने वाली भूमि हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1)की कार्यवाही बाबत विवरण:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील का नाम	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	मेज बैराज का निर्माण ।	नयागांव	पापडी	इन्द्रगढ़	बून्दी	भूमि अवाप्ति अधिकारी (जल संसाधन विभाग), बून्दी
2		डडवाड़ा	खरायता			
3		खरायता	खरायता			
4		खेडली देवजी	पापडी			

5		लाखेरी	सखावदा			
6		उतराना	उतराना			
7		प्रतापगढ़	रेबारपुरा			
8		डपटा	खरायता			
9		बुढेल	उतराना			
10		छप्पनपुरा	रेबारपुरा			
11		ढगारिया	रेबारपुरा			
12		डांगाहेडी	उतराना			
13		खेडिया दुर्जन	रेबारपुरा			
14		खेडिया मान	रेबारपुरा			
15		लक्ष्मीपुरा	डोडी			
16		मालियों की बाड़ीयां	उतराना			
17		पचीपला	रेबारपुरा			
18		पापडली	रेबारपुरा			
19		रेबारपुरा	रेबारपुरा			
20		ठीकरी	रेबारपुरा			
21	मेज बैराज	बोरदा काछियान	बोरदा काछियान	केशवराय	बून्दी	भूमि अवाप्ति
22	का	जलोदा	जलोदा	पाटन		अधिकारी
23	निर्माण ।	बरानी	करवाला की झोपडीया			(जल संसाधन
24		पीपल्दा समेल	करवाला की झोपडीया			विभाग), बून्दी
25		झालीजी का बराना	झालीजी का बराना			
26		करवाला की झोपडीया	करवाला की झोपडीया			
27		कोडक्या बालाजी	करवाला की झोपडीया			
28		मेनोली	करवाला की झोपडीया			
29		ढीगसी	बोरदा काछियान			
30		ओहडी	जैथल			
31		जैथल	जैथल			
32		दोताना	जैथल			
33	मेज बैराज	हनोत्या	ख्यावदा	रायथल	बून्दी	भूमि अवाप्ति
34	का	महुवा	गेंडोली खुर्द			अधिकारी
35	निर्माण।	भैसखेडा	फोलाई			(जल संसाधन

36		लोहली	अजेता			विभाग), बून्दी
37		गेण्डोली खुर्द की झोपडीया	गेण्डोली खुर्द			
38		झाडोल	गेण्डोली खुर्द			
39		ख्यावदा	ख्यावदा			
40		छापडी	ख्यावदा			
41	मेज बैराज	गोपालपुरा	फोलाई	रायथल	बून्दी	भूमि अवाप्ति अधिकारी (जल संसाधन विभाग), बून्दी
42	का	गोठडा	फोलाई			
43	निर्माण।	मोरखुंदना	फोलाई			
44		जगन्नाथपुरा	फोलाई			

प्ररूप-2

(नियम 5 देखिए)

पार्ट-B

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :-

(क)	परियोजना विकासकर्ता का नाम	महाप्रबन्धक, आर डब्ल्यू जी सी एल, पी. आई. यू. कोटा
	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	जिला बून्दी के तहसील इन्द्रगढ के ग्राम खरायता में मेज नदी पर मेज बैराज के निर्माण से तहसील इन्द्रगढ, केशवरायपाटन, रायथल का कुल क्षेत्रफल 2721.00 हेक्टर भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है।
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (1)परामर्श (2)सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईयां भी दें।	(1)परामर्श (2)सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा और/या भू-स्वामी की सहमती अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना के लिए होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नहीं है।

(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीती के साथ अन्तिम परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना) विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
(ङ)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन की प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जायेगी।	हाँ
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से संपर्क करने संबंधी जानकारी।	महाप्रबन्धक, आर डब्ल्यू जी सी एल, पी. आई. यू. कोटा

महेश कुमार राठी,
उप सचिव एवं अधी. अभि. (लैण्ड बैंक)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।